न्यायालयः विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति
(अत्याचार निवारण प्रकरण) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – सुषमा पारीक
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दांडिक विविध प्रकरण संख्या – 143 सन् 2026

CIS Reg.No. – Bail Application/95/2026

CNR Number – RJSG050003182026

अनिल कुमार पुत्र कालूराम निवासी–वार्ड नं० 3 सूरतगढ़ उप कारागृह के पीछे, पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर, जिला–श्रीगंगानगर।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए विशिष्ट लोक अभियोजक, श्रीगंगानगर।

––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

प्रतिनिधित्वः–

(1) श्री चरणदास कम्बोज, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
(2) विशिष्ट लोक अभियोजक वास्ते राज्य।
(3) श्री जितेन्द्र पराशर अधिवक्ता, वास्ते– परिवादी ।

–आदेश–

दिनांकः 01.04.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना मुकलावा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–34/2025 अंतर्गत धारा–109(1),115(2),189(2),190,191(2)(3) बीएनएस व धारा 27 आर्म्स एक्ट के संबंध में पेश किया, जिसे पंजीबद्ध किया गया।

2– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वर्ष 2025–26 के लिए गांव 32 एम एल (झोटांवाली) का व इसी पंचायत के साथ चिपती पंचायत उड़सर का शराब का अनुज्ञापत्र उसके नाम से राज० सरकारी द्वारा जारी है। इसी वजह से विगत वर्ष का ठेकेदार इंद्राज उससे रंजिश रखता है और इसी रंजिश के कारण आज शाम करीब 8 बजे जब वह 32 एम एल दुकान चैक करने गया तो उसी वक्त इको स्पोर्ट गाड़ी में से खुद इंद्राज व 3–4 आदमी आकर रुके व उसके पीछे एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी में से 5–6 आदमी आए जो गाड़ी की खिड़की खोलकर दुकान की तरफ फायरिंग करते आए व दुकान के मुख्य द्वार पर उसे मारने की नियत से फायर किया तो उसके साथ खड़े दीनदयाल के हाथ में लगा। इतने में ही पीछे सफेद स्कार्पियो गाड़ी जिसे इंद्राज का लड़का सुखबीर चला रहा था, उसने भी उसे जान से मारने के लिए गाड़ी उसके ऊपर दुकान के बोर्ड के पास चढाने का प्रयास किया किंतु यह भागकर साइड में हो गया तथा स्कॉर्पियो दुकान पर खड़े राजू बारुपाल के ऊपर

चढा दी जिससे उसके पैर में चोटें आई। उसके द्वारा पास में जाने पर उस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया जिससे गाड़ी के अगले टायर से उसके बायें पैर पर रगड़क और अंगुली में चोट आई फिर सभी मौका से इको स्पोर्ट और स्कोरपियो लेकर भाग गए। उसने, बाबूलाल व लखवीर ने राजू और दीनदयाल को सम्भाला और उन्हें अस्पताल ले गए जहां उन्हें चोटें गम्भीर होने के कारण गंगानगर रैफर कर दिया, इत्यादि। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 109(1),115(2),117(2),126(2), 189(2), 190, 191(2) बीएनएस व धारा-3(2)(va) एससी/एसटी के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को दिनांक-25.03.2026 को गिरफ्तार किया गया, जिस पर अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन पेश किया गया है ।

3- बहस जमानत सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किए कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को गलत रुप से रजिशवश फंसाया गया है तथा प्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार कोई अपराधिक कृत्य नही किया है। अनुसंधान पूरा हो चुका है एवं चालान भी श्री मान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उनके आर्थिक, मानसिक व समाजिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ने का पूरा-पूरा अंदेशा है। प्रार्थी साफ छविका है, जिसके विरुद्ध पूर्व में कोई भी प्रकरण नहीं है । प्रार्थी गिरफ्तारी की दिनांक से न्यायिक अभिरक्षा में चला आ रहा है, उक्त मुकदमा के विचारण में काफी समय लगने की संभावना है। गवाहान अभियोजन पक्ष के खास व सरकारी कर्मचारी है जिन्हें डराने धमकाने व टैम्परविद करने का कोई अन्देशा नही है। प्रार्थी ईलाका हाजा का स्थाई निवासी है जिसके भागने आदि का अंदेशा नहीं है। अंत में प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया गया।

4- इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने समरूप जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया व अभियुक्त का कृत्य गंभीर प्रकृति का होने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

05- दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने आरोपीगण द्वारा उस पर फायर करने के कथन किए हैं जबकि अनुसंधान से किसी भी पक्ष की तरफ से फायर करने

के तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं एवं घटनास्थल से फायर होने संबंधी कोई अलामात भी नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा मजरूब के आई चोट भी फायर आर्म्स की होना चिकित्सीय राय में प्रकट नहीं किया गया है एवं किसी भी चोट का प्राणघातक होना भी नहीं बताया गया है । प्रार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार के विरूद्ध बाद अनुसंधान धारा-109(1),115(2), 117(2),126(2),189(2),190,191(2) बीएनएस व धारा-3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट के अपराध के आरोप है। अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड तलब किया गया तो पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना अपनी रिपोर्ट में प्रकट किया है। प्रकरण के सह अभियुक्त मनीष चौधरी की ओर से प्रस्तुत जमानत का आवेदन न्यायालय द्वारा दिनांक-15.07.25 को स्वीकार किया जा चुका है । प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक-25.03.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--आदेश--

06- अतः प्रार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र कालूराम, निवासी-वार्ड नं० 3 सूरतगढ़ उप कारागृह के पीछे, पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर, जिला-श्रीगंगानगर की ओर प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त पचास हजार रूपए की राशि का निजि बंधपत्र एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये के दो सुदृढ़ प्रतिभू पत्र प्रत्येक तारीख पेशी पर अपनी उपस्थिति बाबत इस न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर प्रमाणित करवा देवे तो अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं होने पर उसे इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(सुषमा पारीक)

07- आदेश आज दिनांक-01.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुषमा पारीक)